⑥

1.6

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No........................ Dated...26.08.2020.......

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **2.630 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of the जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों–काकड़ीघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 2.00 से सुनियाकोट कोटली तक मोटर मार्ग (लम्बाई 4.00 कि0मी0) **district Almora falls within jurisdiction Suniyakot, Kotali,Sauni Village (s) in Ranikhet Tahsils.**
It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **2.628** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure .... to annexure.................
(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.:-YES
(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural at communities.:-YES

Encl: As above

जन0 जनजाति कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

Nitin Singh Bhadauria
District Collector, Almora

(7)

1.6

FORM-II

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No.......................... Dated...26.08.2020........

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified **that 2.628 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of Provincial Division P.W.D. Almora for the जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों–काकड़ीघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 2.00 से सुनियाकोट कोटली तक मोटर मार्ग (लम्बाई 4.00 कि0मी0) **district Almora falls within jurisdiction Suniyakot, Kotali,Sauni Village (s) in Ranikhet Tahsils.**

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **2.630** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure .... to annexure ....

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA. : YES

(c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Suniyakot, Kotali** villages (s) is enclosed as annexure 3.

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was s quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES

(f) The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

Encl: As above

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

Nitin Singh Bhadauria
District Collector, Almora

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT ALMORA (U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes &other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Nitin singh Bhadauria, I.A.S., deputy commissioner, Almora on date 26.08.2020....at time 4:00PM...at Almora in which application claiming rights **of Suniyakot, Kotali,Sauni** measuring **2.628 hac.**for the जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों–काकड़ीघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 2.00 से सुनियाकोट कोटली तक मोटर मार्ग (लम्बाई 4.00 कि0मी0)of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Ranikhet** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Almora

जिलाधिकारी,
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

DATE:

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नामः–जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों–काकाड़ीघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 2.00 से सुनियाकोट–कोटली तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 4.00 कि0मी0

कार्यालय उप जिलाधिकारी, रानीखेत

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, रानीखेत

उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत विधानसभा अल्मोड़ा में **जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों–काकाड़ीघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 2.00 से सुनियाकोट–कोटली तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 4.00 कि0मी0** के निर्माण हेतु **शून्य** हे0 आरक्षित वन भूमि, **1.359** हे0 सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि **1.269** है0 अर्थात कुल **2.628** हे0 का प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील–**रानीखेत**) की दिनांक 17.08.2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक सु0 श्री अपूर्वा पाण्डे .... उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1सु०श्री अपूर्वा पाण्डे .... संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत अध्यक्ष

JOINT MAGISTRATE RANIKHET.

2– श्री [illegible] उप प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा, अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा सदस्य

3–सुश्री [illegible] गौड़ .... समाज कल्याण अधिकारी ताड़ीखेत सदस्य/सचिव

4– श्री पुष्कर सिंह .... बी0डी0सी0 क्षेत्र [illegible] .... सदस्य

पुष्कर सिंह
कनिष्ठ उप प्रमुख
वि०ख०–ताड़ीखेत (अल्मोड़ा)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों–काकाड़ीघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 2.00 से सुनियाकोट–कोटली तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 4.00 कि0मी0** के निर्माण हेतु **शून्य** हे0 आरक्षित वन भूमि, **1.359** हे0 सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि **1.269** है0 अर्थात कुल **2.628** हे0 वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड ताड़ीखेत
जनपद अल्मोड़ा

दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों–काकाड़ीघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 2.00 से सुनियाकोट–कोटली तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 4.00 कि0मी0** के निर्माण हेतु **शून्य** हे0 आरक्षित वन भूमि, **1.359** हे0 सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि **1.269** है0 अर्थात कुल **2.628** हे0 प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

11/8/2010

JOINT MAGISTRATE
RANIKHET.

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–रानीखेत
जनपद–अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

11/8/2010

JOINT MAGISTRATE
RANIKHET.

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–रानीखेत
जनपद–अल्मोड़ा

परियोजना का नामः—जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों—काकाड़ीघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 2.00 से सुनियाकोट—कोटली तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 4.00 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम— सुनियाकोट

तहसील व जिला—रानीखेत, अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में **जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों—काकाड़ीघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 2.00 से सुनियाकोट—कोटली तक मोटर मार्ग का निर्माण** हेतु **2.628 है0** वन भूमि, का प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा द्वारा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सुनियाकोट द्वारा दिनांक 24.02.2020 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि **ग्राम सुनियाकोट** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान

प्रधान
भावना देवी
ग्राम पंचायत सुनियाकोट
वि0ख0-ताड़ीखेत(अल्मोड़ा)

दिनांक 21.02.2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत सुनियाकोट

क्रम सं0	ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1	भूपेन्द्र सिंह	भूपेन्द्र सिंह
2	शैलेन्द्र सिंह	शैलेन्द्र सिंह
3	नकोलसिंह	नकोलसिंह
4	कमलपतिसिंह	कमलपतिसिंह
5	राजू सिं	राजू
6	नारायण सिंह	नारायण सिंह
7	देव सिंह	देव सिंह
8	हरीश सिंह	हरीश सिंह
9	चन्दन सिंह	चन्दन सिंह
10	खड़क सिंह	खड़क सिंह
11	कुंवर सिंह	कुंवर सिंह
12	चन्दन सिंह	चन्दन सिंह
13	डुंगर सिंह	डुंगर सिंह
14		
15	हिर सिंह	हिर सिंह
16	हीरा सिंह	हीरा सिंह
17	हरीश सिंह	हरीश सिंह
18	देव सिंह बोधा सिंह	देव सिंह
19	नीमा देवी	नीमा देवी
20	धना देवी	धना देवी
21	गीता देवी	गीता देवी

ग्राम प्रधान
Bhawana
प्रधान
भावना देवी
ग्राम पंचायत सुनियाकोट
वि0ख0-ताड़ीखेत(अल्मोड़ा)

(13)

परियोजना का नामः—जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों—काकाड़ीघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 2.00 से सुनियाकोट—कोटली तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 4.00 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम— सुनियाकोट

तहसील व जिला—रानीखेत, अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में **जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों—काकाड़ीघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 2.00 से सुनियाकोट—कोटली तक मोटर मार्ग का निर्माण** हेतु **2.628 है0** वन भूमि, का प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा द्वारा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत (सुनियाकोट) द्वारा दिनांक 24·02·2008 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि **ग्राम कोटुली** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

केवलराम
सरपंच,
वन पंचायत कोटुली
पट्टी कन्डारखुवाँ
तहसील रानीखेत जिला अल्मोड़ा

[signature]
[illegible stamp]

ग्राम प्रधान
Bhowana
प्रधान
भावना देवी
ग्राम पंचायत सुनियाकोट
वि0ख0-ताड़ीखेत(अल्मोड़ा)

दिनांक 24.02.2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत कोटुली

क्रम सं0	ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1	केवलराम	केवल राम
2	बचीराम	Bachi Ram
3	आनन्द लाल	Anand lal.
4	गोपालराम	G Ram
5	शेर सिंह	शेर सिंह
6	नारायण सिंह	नारायण सिंह
7	पूरन सिंह	पूरन सिंह
8	राहुल सिंह	राहुल सिंह
9	पंकज प्रसाद	Ram Ragh
10	राजेन्द्र प्रसाद	राजेन्द्र सिंह
11	कमला देवी	कमला देवी
12	रेवती देवी	रेवती देवी
13	हेमा देवी	हेमा देवी
14	गंगा देवी	गंगा देवी
15	पुष्पा बिष्ट	पुष्पा बिष्ट

ग्राम प्रधान

Bhawna

प्रधान
भावना देवी
ग्राम पंचायत सुनियाकोट
वि0ख0-ताड़ीखेत(अल्मोड़ा)

परियोजना का नामः–जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों–काकाड़ीघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 2.00 से सुनियाकोट–कोटली तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 4.00 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– सुनियाकोट

तहसील व जिला–रानीखेत, अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में **जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों–काकाड़ीघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 2.00 से सुनियाकोट–कोटली तक मोटर मार्ग का निर्माण** हेतु **2.628 है0** वन भूमि, का प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा द्वारा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत (सुनियाकोट) द्वारा दिनांक 24.02.2020 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि **ग्राम सौनी** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान

सरपंच
वन पंचायत सौनी,
पो० ओ० - सूरी,
भट्टी-कन्डार खुआ (अल्मोड़ा)

प्रधान
भावना देवी
ग्राम पंचायत सुनियाकोट
वि0ख0-ताड़ीखेत(अल्मोड़ा)

(16)

दिनांक 24.02.2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत सौनी

क्रम सं0	ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
~~[illegible]~~ 1	[illegible] सिंह	[signature]
2	पंकज सिंह	[signature]
3	तारा सिंह परिहार	Parihar
4	[illegible] सिंह	[illegible] सिंह
5	रमेश सिंह	रमेश सिंह
6	कुशाल सिंह	कुशाल सिंह
7	तारा सिंह	[illegible] Singh
8	चन्दन सिंह	Chan Singh
9	मोहनी देवी	मोहनी देवी
10	लीला देवी	लीला देवी

ग्राम प्रधान

Bhawana
प्रधान
भावना देवी
ग्राम पंचायत सुनियाकोट
वि0ख0-ताड़ीखेत(अल्मोड़ा)